सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– **247**

18/03/2026

श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार की अध्यक्षता में विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति हेतु दक्षिण बिहार के 17 जिलों के उप–विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक का आयोजन

पटना 18 मार्च, 2026 :– श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार की अध्यक्षता में विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति हेतु दक्षिण बिहार के 17 जिलों (जमुई, भागलपुर, नवादा, मुंगेर, जहानाबाद, पटना, अरवल, रोहतास, बांका, औरंगाबाद, गया, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, भोजपुर, कैमूर और बक्सर) के उप–विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार ने निर्मित पंचायत सरकार भवनों का शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित कर उन्हें क्रियाशील करने हेतु पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत इन 17 जिलों की ग्राम पंचायतों में 3,64,605 सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन किया जा चुका है। योजना के तहत पटना जिले की ग्राम पंचायतों में 37,656 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन में विलंब करने वाली एजेंसी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अनुबंध के अनुसार कार्रवाई करने हेतु निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों में तेजी से सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन सुनिश्चित कराते हुए 31 मार्च 2026 तक शत प्रतिशत अधिष्ठापन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भी निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार ने पदाधिकारियों को निदेशित किया। अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट्स का विभाग द्वारा ब्रेडा के माध्यम से विकसित केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली से शत प्रतिशत इंटीग्रेशन, सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी सोलर स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को शीघ्र दुरुस्त कराने का निदेश भी निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा पदाधिकारियों को दिया गया। पंचायत सचिव के माध्यम से रात्रि काल में ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट्स का स्थल निरीक्षण सुनिश्चित कराने हेतु भी निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। बैठक में निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार ने कहा कि अधिष्ठापन का कार्य कर रही एजेंसियों का शीघ्र भुगतान भी पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 6जी राज्य वित्त आयोग द्वारा संपोषित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर जनकल्याणकारी योजनाओं में तेजी से खर्च करने हेतु निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

बैठक में उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लंबित न्यायिक वाद, CPGRAMS पर दर्ज वाद एवं पंचायती राज विभाग, बिहार अंतर्गत परिवाद की समीक्षा भी निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा की गई।

आहूत समीक्षात्मक बैठक में डॉ0 आदित्य प्रकाश, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, श्री नजर हुसैन, अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहें।

———————————